फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती रोडीबाई**
किस्म मुकदमा :– 53 आरटीएक्ट

विपक्षी :– **श्री उंकारलाल**
पत्रावली संख्या :– 43/23
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/88

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.01.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा गया। न्यायालय द्वारा ग्राम खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की हाल नकल जमाबंदी 2077–80 के खाता संख्या 250 पर दर्ज वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में आनलाईन अपना खाता पर खातेदारो का अवलोकन करने से जाहीर आया की खातेदार के रूप में वादीया का नाम जमाबंदी में दर्ज नही है। वादीया द्वारा अपने हिस्से का विक्रय कर देने से क्रेता का नाम खातेदारी हक से दर्ज हो चुका है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में वादीया खातेदार ही नही रही एवं अपने हक हिस्से का स्थानान्तरण किसी अन्य के पक्ष में कर दिया गया है। ऐसे में वादीया को वर्तमान में बंटवाड़ा करवाने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादीया स्वयं द्वारा अपने हक हिस्सो का स्थानान्तरण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए वादीया खातेदार होना आवश्यक है। ऐसे में अब वादीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार नही रहने से इस वाद पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार वाद वादीया इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:30:45 IST
Reason: SelfAttested